

Instructions for Online Application for Renewal / New Registration of Brand and Labels

Important / महत्वपूर्ण

1. For the Year 2020-21, Single Application shall be applicable for Brand Approval (except the MRP approval part) and Label Approval. The Approval shall be granted for both simultaneously. However the Separate order shall be generated for Brand Approval and Label Approval.

वर्ष 2020-21 के लिए ब्रांड तथा लेबल अप्रूवल हेतु की प्रक्रिया एक साथ की जावेगी जिसमे MRP का अनुमोदन शामिल नहीं होगा | किंतु ब्रांड व लेबल अनुमोदन पत्र अलग अलग जारी किये जायेंगे |

2. The Brand Registered by any Unit may be renewed only if the Brand Registering Unit is already registered and renewed their Licenses

ब्रांड और लेबल केवल उन्ही ब्रांडो का नवीनीकरण आवेदन हेतु यह आवश्यक होगा कि इन ब्रांडो का रजिस्ट्रेशन व इनके लेबल का अनुमोदन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया हो तथा जिसने इन ब्रांडो का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019-20 के लिए कराया है उन इकाइयों का नवीनीकरण हो गया हो |

3. Any Brand or their corresponding Label may be renewed if there is no change in the name, packaging size and label image in the said brand except for the MRP

नवीनीकरण आवेदन केवल उन ब्रांडो का किया जा सकता है जिनमे MRP को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया हो |

4. Cases where no Brand Registration is required but Label is to be approved (such as Export Labels for U.P. Brands), Application has to be submitted separately. However, in this case no Brand Registration Fee shall be charges and no Brand Approval letter shall be generated.

जिन दशा में ब्रांड अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है किंतु लेबल अनुमोदन आवश्यक है, उन ब्रांडो हे लिए भी अलग से आवेदन करना होगा यद्यपि इस दशा में ब्रांड अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी और न ही ब्रांड अनुमोदन पत्र जारी होगा |

5. Similarly, for cases where no label approval is required, the application has to be submitted and label has to be uploaded. However the Label approval fee shall not be charged and Label Approval letter shall not be generated.

इसी प्रकार, जिन दशा में लेबल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है किंतु ब्रांड अनुमोदन आवश्यक है, उन ब्रांडो हे लिए भी अलग से आवेदन करना होगा यद्यपि इस दशा में लेबल अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी और लेबल अनुमोदन पत्र नहीं जारी होगा |

Process Flow

1. Unit shall visit www.upexciseonline.in and login with their existing login credentials.
यह प्रक्रिया www.upexciseonline.in पर आवेदक तो अपने लाग-इन से प्रारंभ करनी होगी |
2. The User shall choose the Brand Request Menu provided on their login and opt for any of the Renewal or New Registration Application
आवेदक द्वारा अपने लाग-इन पर उपलब्ध Brand Request मेनू पर जा कर Renewal या New आवेदन का चयन करना है |
3. If Renewal option is selected, the portal shall display all the Brands registered during year 2019-20. User may also view the approved packaging sizes and may opt to renewal on or more Brands. If any brand is selected, all the sizes of the Brand shall be request for renewal.
यदि आवेदक द्वारा Renewal का विकल्प चुना गया है तो आवेदक द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुमोदित समस्त ब्रांडों की सूची दिखाई देगी एवं आवेदक द्वारा जिन ब्रांडों का नवीनीकरण कराया जाना है, उनके आगे दिए गए Renew बटन तो क्लिक करना होगा |
4. If New Registration option has been selected, all the information has to be submitted by the user including the packaging available for the said brand. Also User as to define the Labels to be approved for the brands applied to be registered a fresh.
नए ब्रांड के पंजीकरण हेतु आवेदक तो इस फ़ार्म पर दी गयी सभी सूचनाओं को सावधानीपूर्वक भरना होगा तथा प्रत्येक ब्रांड में जितने प्रकार के लेबल स्तेमाल होने है उनका भी विवरण भरना होगा |लेबल की सूचना भरने हेतु अलग से बाक्स दिया गया है, जिसका स्तेमाल केवल नए ब्रांडों में ही किया जाना है |
5. After completion of renewal application or New Brand Application along with label definition, user may proceed further for uploading of documents. Here all the applications whether for new brands or for renewal shall be displayed and user has to select any one of them to view the Brand details of the Application and upload the Documents listed for uploading. In case of New Brand Application User has to upload the proof of brand ownership or authorization from Brand Owner, An Affidavit, Copy of the Trademark registration while in case of renewal user has to upload the copy of Brand Registration and Label Approval letter for year 2019-20 alongwith the affidavit. The affidavit formats may be downloaded from the portal as provided on the Brand Request form page.
नवीनीकरण या नए ब्रांड के आवेदन के पश्चात आवेदक को Document Upload के बाक्स पर जा कर सभी प्रपत्रों को अपलोड करना होगा | इस बाक्स के चयन पर आवेदक तो उसके द्वारा की गयी सभी ब्रांड आवेदन की सूची दिखाई देगी| सूची से किसी आवेदन के चयन पर, जिन प्रपत्रों को अपलोड किया जाना है, उसकी सूची व प्रत्येक प्रपत्र के समक्ष उपलोड करने का विकल्प दिखाई देगा | आवेदक को सभी प्रपत्र अपलोड करने के पश्चात डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे | एफीडेविट का फार्मेट पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है |

6. In case of Renewal Application, the labels already approved shall be visible and may be viewed by the user. However in both renewal and New Brand cases, user has to upload the scanned copy of the labels in 300ppi (pixels per inch), which should be same as approved for year 2019-20 except of MRP part (in case of renewal).

नवीनीकरण की स्थिति में आवेदक को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित लेबल अवलोकनार्थ उपलब्ध होगा। प्रत्येक दशा में लेबल को 300 PPI में स्कैन कर लेबल को अपलोड किया जाना है। नवीनीकरण के विकल्प में उक्त लेबल 2019-20 हेतु अनुमोदित लेबल से भिन्न नहीं हो सकता (केवल MRP नहीं होगी)।

7. For Fee Submission user has to deposit online challan using the facility provided on Home Page of the portal.. The details of these challans has to be linked in Upload challan section. User should carefully select the Head for depositing the Fee as if there is any mismatch in amount or required head, the same shall not be allowed to be uploaded.

भुगतान करने हेतु आवेदक तो पोर्टल के मुख्या पृष्ठ पर उपलब्ध "Online Challan Deposit " विकल्प का उपयोग करना होगा। ब्रांड रजिस्ट्रेशन व लेबल रजिस्ट्रेशन हेतु अलग-अलग चलान जमा करने होंगे तथा इन चलानों को आवेदन के सापेक्ष अपलोड करना होगा। चलान भरते समय आवेदक को विशेष ध्यान रखना होगा जिससे आवेदक के विवरण व चलान हेड में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटी न हो अन्यथा जमा किये चलान को आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया जा सकेगा। शुल्क जमा हेतु निम्न हेड का प्रयोग करें

#	Purpose	Main Head	G6 Head
1	Brand Registration / Renewal Fee for Any Brand calculated as per Brand	003900800050000	09
2	Label Registration / Renewal Fee for Beer Brands calculated as per Label	003900800050000	11
3	Label Registration / Renewal Fee for CL and FL Brands calculated as per Label	003900800050000	10
4	Label Registration / Renewal Fee for Wine and LAB Brands calculated as per Label	003900800050000	12

8. After uploading of documents & labels and submission of required Fee, the application shall be treated as complete and shall be forwarded to concerned AC in case of Distillery/Brewery and to DEO in all other cases. The concerned AC or DEO may recommend and forward it to Excise HQ. At HQ it shall follow the path of DEC- Licence to Jt. Commissioner – HQ then Additional Commissioner – L&D.

समस्त प्रपत्रों एवं लेबल को अपलोड करने व निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात उक्त आवेदन आसवनी/यावासनी के लिए सम्बंधित सहायक आबकारी आयुक्त व अन्य के लिए सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी के पास भेज दिया जायेगा। सहायक आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के स्तर से अग्रसारित करने पर आवेदन आबकारी मुख्यालय के पास चला जायेगा जिसे क्रमशः उप- आबकारी आयुक्त (लाइसेंस), संयुक्त आबकारी आयुक्त (मुख्यालय) व अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंस व वितरण) को अग्रसारित होगा।

9. In case of New Brand-Label Registration Application, Labels cleanly pasted on a white paper duly signed by the Brand Registrant should be submitted at Licensing section at

Excise Head Quarter in four copies. The Licensing section shall mark the receipt of these Physical copy of Labels before forwarding the Registration Application..

नवीन ब्रांड-लेबल अनुमोदन की आवेदन प्रक्रिया में लेबल की प्रिंटेड कापी को सफ़ेद कागज़ पर चिपकाकर एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कर आबकारी मुख्यालय में लाइसेंस अनुभाग में चार प्रतियों में जमा करना आवश्यक होगा | लाइसेंस अनुभाग द्वारा अग्रसारित करने के पूर्व उक्त की प्राप्ति पोर्टल पर अंकित करनी होगी |

10. The Applications shall finally be sent to The Excise Commissioner for final approval.

ब्रांड – लेबल के आवेदन पर अंतिम निर्णय आबकारी आयुक्त (उ०प्र०)द्वारा लिया जायेगा |

11. Once the Application is approved by EC, the same shall be displayed on DEC- Licence for Brand Approval and DEC – Distribution for Label Approval letter to be digitally signed. In cases where no Brand or Label approval letter is to be generated, it shall not be displayed on concerned DEC.

आबकारी आयुक्त महोदय के अनुमोदन के पश्चात, आवेदन उप- आबकारी आयुक्त (लाइसेंस), उप- आबकारी आयुक्त (वितरण) के लागिन पर डिजिटल साइन हेतु उपलब्ध होगा | जहा ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्रपत्र जारी होना है वो सभी आवेदन उप- आबकारी आयुक्त (लाइसेंस) व जहां लेबल अनुमोदन प्रपत्र जारी होना है वो सभी आवेदन उप- आबकारी आयुक्त (वितरण) को उपलब्ध होगा |

12. After Digital Signature of Brand and/Or Labels, the letters may be downloaded by the Application using the Status View screen.

आवेदन उप- आबकारी आयुक्त (लाइसेंस), उप- आबकारी आयुक्त (वितरण) द्वारा डिजिटल साइन करने के पश्चात आवेदक को उक्त प्रपत्र डाउनलोड हेतु उपलब्ध हो जायेंगे